डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

जसवन्त सिंह उर्फ जसुदान पुत्र आईदान सिंह जाति चारण उम्र 58 वर्ष निवासी धीरासर चारणान, तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 85/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुदईब व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 168 तादादी 9.6745 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर चारणान तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम जसूदान पुत्र आईदान के स्थान पर जसवन्त सिंह पुत्र आईदान सिंह दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12 माह मार्च सन् 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:57 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू